

November 03, 2021

PRERTO/2021/270287281/LVTNE00040885835



To,

**Mr./Ms. SHIVANJALI INFRA
1441 NIRMAL NAGAR
ASANGAON
THANE- 421301
MAHARASHTRA**

Permit / Fitness Certificate Cancellation/Discontinuation

Dear Sir/Madam,

Greetings from ICICI Bank.

Borrower's Name	SHIVANJALI INFRA
Loan Agreement Number	LVTNE00040885835
Asset / Vehicle make	AL 2523
Vehicle Regn. Number / Asset Serial Number	MH04KF1068

We wish to inform that the in lieu of your dues outstanding since last few months, Bank may take a decision to send the intimation to RTO on cancellation/discontinuation of permit/fitness certificate for the assets as mentioned above.

It is to bring to your notice that the hypothecated vehicle no **MH04KF1068** , is financed by ICICI Bank and under the provisions of Motor Vehicles Act,1988, the bank's refusal to issue No-objection certificate may result in cancellation/discontinuation of permit/fitness certificate.

In order to avoid inconvenience in future, it is urged that you clear all the pending dues with the Bank on immediate basis. You may walk in to the ICICI bank branch, alternatively, may contact Bank's Manager to clear the dues.

This communication is for your information so as to prevent any confusion thereafter.

Sincerely,

**KARTIK
7045955335**

ICICI Bank Limited.

November 03, 2021

PRERTO/2021/270287281/LVTNE00040885835



प्रति,

श्रीमान/सुश्री **SHIVANJALI INFRA**
1441 NIRMAL NAGAR
ASANGAON
THANE- 421301
MAHARASHTRA

परमिट/ फिटनेस प्रमाणपत्र निरस्तीकरण व नवीनीकरण रोकने बाबत

प्रिय महोदय/महोदया,

ICICI बैंक की तरफ से अभिवादन.

ऋण लेने वाले का नाम	SHIVANJALI INFRA
ऋण अनुबंध संख्या	LVTNE00040885835
संपत्ति / वाहन निर्माण	AL 2523
वाहन की पंजीयन संख्या / संपत्ति क्रम संख्या	MH04KF1068

हम आपको यह जानकारी देना चाहते हैं कि पिछले कुछ महीनों में आपकी बकाया राशि का भुगतान न करने के बदले में, बैंक ऊपर बताई गई संपत्तियों के लिए आरटीओ को परमिट/ फिटनेस प्रमाणपत्र पर रोक लगाने संबंधी सूचना भेजने का निर्णय ले सकती है.

आपको सूचित किया जाता है कि रहन रखे गए वाहन क्रमांक **MH04KF1068**, को ICICI बैंक की ओर से वित्तपोषित किया गया था और मोटर वाहन अधिनियम, 1988, के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक की ओर से अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने से असहमति देने का परिणाम परमिट/ फिटनेस प्रमाणपत्र पर रोक लगाना हो सकता है.

भविष्य में किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए, हमारा सुझाव है कि आप इस संबंध में बैंक की सभी बकाया राशि का तुरंत भुगतान करें. बकाया राशि का भुगतान करने के लिए आप ICICI बैंक की शाखा पर आ सकते हैं या बैंक प्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं.

यह सूचना आपको इसलिए दी गई है ताकि बाद में आपको किसी प्रकार का कोई भ्रम ना हो.

भवदीय,

KARTIK
7045955335

ICICI बैंक लिमिटेड.